इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी 2023—फाल्गुन 2, शक 1944

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2023

क्र. एफ—1—47—2021—बयालीस—1.— विभागीय राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 4 सितम्बर 2020 के अनुसार सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है, के संबंध में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) की प्रक्रिया में आधार सेवाओं के उपयोग के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम—6 के पश्चात्, नियम—7 व 8 अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

7. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) (स्कीम कहा गया है) मध्यप्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों (हितग्राही कहा गया है) को उच्च शिक्षा अर्जित करने हेतु शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति (हितलाभ कहा गया है) संचालनालय तकनीकी शिक्षा (कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से की जा रही है.

8. मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) (स्कीम कहा गया है) मध्यप्रदेश के श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों को (हितग्राही कहा गया है) उच्च शिक्षा अर्जित करने हेतु शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति (हितलाभ कहा गया है) संचालनालय तकनीकी शिक्षा (कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से की जा रही है.

Bhopal, the 21st February 2023

S.No F-1-47-2021-XLII-1.- In accordance with the Gazette Notification Dated 4th September 2020 regarding the use of Aadhaar as an identity document far delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes,brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity, the State Government, hereby, makes the following amendments for the use of Aadhaar services in the process of Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana (MMVY) and Mukhyamantri Jan Kalyan (Shiksha Protsahan) Yojana (MMJKY), namely:—

AMENDMENTS

After rule 6, the following rule shall be inserted as rule 7 and rule 8, namely:—

7. Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana (MMVY) *(referred as the Scheme)* where meritorious students of Madhya Pradesh *(referred as the beneficiaries)* are getting reimbursement of fee payment for pursuing higher education (referred as the benefit) and scheme is implemented by Directorate of Technical Education (referred as the Implementing Agency).

8. Mukhyamantri Jan Kalyan (Shiksha Protsahan) Yojana (MMJKY) *(referred as the Scheme)* where students whose parent(s) is registered as 'Asangathit karmakar' in Labour department of Madhya Pradesh *(referred as the beneficiaries)* are getting reimbursement of fee payment for pursuing higher education *(referred as the benefit)* and scheme is implemented by Directorate of Technical Education (referred as the Implementing Agency).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.